73

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 233—तीन/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—01—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 695/अपील/1999—2000.

.....

1—रामकृष्ण मिश्रा
2—बालकृष्ण मिश्रा पुत्रगण स्व0
श्री राम सुमनराम ब्राहम्ण
3—मुस0 धिराजे बेवा पत्नी जगदीशराम
4—सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 जगदीशराम
सभी निवासी रसहा टीकर तहसील
सिहावल जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—व्यंकट प्रसाद पुत्र स्व0 रामसुमनराम ब्रा0
2—सुरेन्द्र 3—नरेन्द्र 4—श्रीकांत पुत्रगण
स्व0 व्यंकट प्रसाद मिश्रा
सभी निवासी ग्राम टीकर रजहा तहसील
सिहावल जिला सीधी म0प्र0
5—म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

———अनावेदकगण

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार सिहावल के द्वारा, दिनांक 4.7.97 कोवसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया। जिस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 10.7.2000 को निरस्त की गई। इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की उसमें उनके द्वारा दिनांक 16.1.2007 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है िकइस न्यायालय में विचारणीय बिन्दु यह हे कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के द्वारा अपने प्रकरण कमांक 15/अपील/93–94 में पारित आदेश दिनांक 22.3.94 जिसमें प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया था । उक्त आदेश का तहसीलदार के द्वारा पालन किया गया है कि नहीं। तहसीलदार ने प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में विधिवत इस्तहार का प्रकाशन तथा अनावेदकगण को तलब किया गया है, जहां पर अनावेदकगण कमांक–1 के द्वारा प्रस्तुत बसीयतनामा जो रामसुमन के द्वारा निष्पादित कराया गया था जिसको साक्षियों ने प्रमाणित भी किया है तथा स्टाम्प कलेक्टर सीधी के द्वारा बसीयतनामा को एम्पाउण्ड भी किया जा चुका हैं चूंकि बसीयत को दो साक्षियों ने प्रमाणित कर दिया हैं अतः तहसीलदार के द्वारा प्रकरण को विधिवत विवेचना करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है। अतः आवेदकगण के उठाये गये तर्को को अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत नहीं होने से विचार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश हैं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्ध सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि**

निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं" ।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा के प्रकरण कमांक 695/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2007 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर